रजिस्ट्रेशन नं० HP/13/SML.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 10 फरवरी, 2000 21 माघ, 1921

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

नोटिस

हमीरपुर, 31 जनवरी, 2000

संख्या पंच0 एच0 एम0 आर0-ग (4)-27/86-303.—क्योंकि ग्राम पंचायत पुतड़ियाल, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर ने इस कार्यालय को अपने प्रस्ताव सं० 3, दिनांक 15-10-1999 तथा प्रधान, ग्राम पंचायत के पत्र दिनांक 20-1-2000 के द्वारा जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर को सूचित किया गया है कि श्री हरनाम सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत पुतड़ियाल, दिनांक 24-7-1999 से 12-1-2000 तक पंचायत की बैठकों से बिना पंचायत को सूचना दिए अनुपस्थित रह रहे हैं ;

और क्योंकि उक्त श्री हरनाम सिंह, उप-प्रधान के विरुद्ध पंचायत की बैठकों से दिनांक 24-7-1999 से 12-1-2000 तक अनुपस्थित रहने के आरोप पर कार्यवाही वांछित है ।

अतः इससे पूर्व कि उक्त श्री हरनाम सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत पुतड़ियाल के विरुद्ध आगामी कार्यवाही की जाए, मैं, अनुराधा ठाकुर, भा0 प्र0 से0, उपायुक्त हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) (ख) व (2) के अन्तर्गत उन्हें

नोटिस जारी करती हूं कि वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 24-2-2000 को ग्राम पंचायत की बैठकों में अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सुनवाई हेतु पश होवे अन्यथा अनुपस्थिति की अवस्था में मामला एकतरफा निर्णित किया जाएगा ।

अनुराधा ठाकुर, भा0 प्र0 से0,
उपायुक्त, हमीरपुर ।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

हमीरपुर, 31 जनवरी, 2000

सं0 हमीर-पंच (1) 23/98-99-II-126-50.—मैं, हेम राम शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर उन शक्तियों के अधीन जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 के साथ पठित, हि0 प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत प्राप्त है, खण्ड विकास अधिकारी, हमीरपुर की सिफारिश पर निम्नलिखित ग्राम पंचायत के पदाधिकारी का त्याग-पत्र निम्न सारणी में उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से स्वीकृत करता हूं :—

सारणी

क्र0 सं0	जिला/विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पदाधिकारी का नाम	पद का नाम	दिनांक स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
हमीरपुर :					
1.	हमीरपुर	कुठेड़ा	श्री प्रकाश चन्द	उप-प्रधान	1-12-99

हेम राज शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी ।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

मण्डी, 1 फरवरी, 2000

संख्या पी0सी0 एन0-एम0 एन0 डी0-ए (1) 61/99-397-415.—मैं, बी0 सी0 भण्डारी, जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 के साथ पठित हि0 प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम,

1997 के नियम 135 के उप-नियम 2 के अन्तर्गत प्राप्त हैं निम्न सारणी अनुसार पंचायत पदाधिकारियों द्वारा अपने पदों से दिए गए त्याग-पत्रों को तुरन्त स्वीकार करता हूं :—

क्र0सं0	नाम विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	पंचायत पदाधिकारी का नाम व पता	त्यागपत्र देने का कारण
1	2	3	4	5
1.	सदर	घाण	श्री परम देव, प्रधान	नौकरी
2.	करसोग	पलिण्डी	श्री खुबा राम, वार्ड-2, कोट	अस्वस्थता
3.	रिवालसर	सैंण	श्री जगदीश चन्द, उप-प्रधान	-यथो-

बी0 सी0 भण्डारी,
जिला पंचायत अधिकारी ।

कार्यालय उपायुक्त, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

सोलन-173212, 22 जनवरी, 2000

संख्या एस0 एल0 एन0-3-38 (पंच) झाझा/99-290-95.—क्योंकि श्री भगवान सिंह प्रधान ग्राम पंचायत झाझा, विकास खण्ड कण्डाघाट, जिला सोलन के विरुद्ध विकास खण्ड अधिकारी कण्डाघाट ने वावत निर्माण रास्ता नाहर से शिकोग के बारे जांच करने के उपरान्त जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उससे उक्त प्रधान स्वीकृत की गई योजना की राशि का छलहरण/दुरूपयोग तथा पेशगी के रूप में अनियमित रूप से अपने पास रखने के दोषी पाए गए हैं ।

यह कि निर्माण रास्ता नाहर से शिकोग के लिए आ0 डी0 ए0-II (ई0 एस0 ए0)-5/97, दिनांक 1-9-97 के अन्तर्गत मु0 50,000/- रु0 स्वीकृत किए गए थे जिसमें से खण्ड विकास अधिकारी कण्डाघाट ने पहली किस्त के रूप में दिनांक 24-9-97 को चैक नं0 0570249 द्वारा मु0 15000/- रु0 तथा दिनांक 31-3-98 को चैक नं0 0686863 द्वारा दूसरी किस्त के रूप में मु0 25000/- रु0 प्रधान ग्राम पंचायत झाझा को उपरोक्त रास्ते के निर्माण के लिए दिए । उपरोक्त योजना के निर्माण पर प्रधान द्वारा व्यय का हिसाब पंचायत को दिया गया जो रोकड़ बही में दिनांक 26-12-97 पृष्ट 27 पर निम्न प्रकार से दर्ज है :—

1. योजना के लिए खरीद रेता, रोड़ी	11700.00
2. ढुलाई पत्थर	4200.00
योग ..	15900.00

परन्तु खण्ड विकास अधिकारी कण्डाघाट द्वारा उपरोक्त योजना का दिनांक 19-12-99 को मौकाव देखा गया । उस समय रास्ता निर्माण के लिए क्रय की गई सामग्री ग्राम महोग के पास सड़क पर रेता, रोड़ी पत्थर आदि दिखा कर उन्ह प्रधान द्वारा शीघ्र कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया । दिनांक 1-1-2000

को खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान उस स्थान पर पहुंचे जहां पर प्रधान ग्राम पंचायत झाझा ने (ग्राम महोग के सड़क किनारे) रास्ता निर्माण के लिए पहल दिखाए गए सामान रेता, रोड़ी आदि थे, वहां से गायब थे। श्री मदन लाल उपाध्यक्ष पंचायत समिति कण्डाघाट व उप-प्रधान ग्राम पंचायत झाझा के सन्मुख श्री प्यारे लाल पुत्र श्री बालक राम ने बताया कि रोड़ी उनकी है, उन्होंने मकान बनाने का काम शुरू कर रखा है। इसी प्रकार श्री रिखी राम पुत्र श्री लछमी सिंह ने भी बताया कि सड़क पर रेत उतारा था जो मकान निर्माण कार्य में प्रयोग कर रहा हूं और पत्थर भी उसी ग्राम के श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री बालक राम के बताए गए, इस से स्पष्ट है कि श्री भगवान सिंह प्रधान ग्राम पंचायत झाझा फर्जी वाऊचर पचायत में देकर व खण्ड विकास अधिकारी कण्डाघाट को धोखा देकर मु0 15900/- रु0 की राशि के छलहरण करने के दोषी पाए गए हैं।

यह कि दिनांक 12-2-98 की रोकड़ पृष्ट 29 पर मु0 13815/- रु0 उपरोक्त स्कीम के निर्माण कार्य पर मस्ट्रोल माह 12/97 व्यय दर्ज किया गया है परन्तु खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के कनिष्ट अभियन्ता द्वारा मौका का मूल्यांकन करने पर स्कीम पर व्यय मु0 9600/- रु0 आंका गया है। प्रधान मु0 4215/- रु0 का अधिक व्यय दर्ज करके राशि के दुरूपयोग के दोषी पाए गए हैं।

यह कि प्रधान श्री भगवान सिंह ग्राम पंचायत झाझा ने दिनांक 6-4-98 को निर्माण रास्ता नाहर से शिकोग के लिए मु0 25000/ रु0 पेशगी के रूप में राशि ली जिसमें 17-4-98 को मु0 15000/- रु0 पेशगी बाबत दिखा कर दूसरी स्कीम टैंक निर्माण क्वारटू पर मु0 14900/- पर अदायगी करके समायोजन किया गया, जो अनियमित है और मु0 10,000/- रु0 पेशगी राशि रख कर निधि के दुरूपयोग करने के दोषी पाए गए हैं।

उपरोक्त वर्णित तथ्य से स्पष्ट है कि प्रधान श्री भगवान सिंह ग्राम पंचायत झाझा, विकास खण्ड कण्डाघाट सरकारी धनराशि के दुरूपयोग/गबन करने में संलिप्त पाए गए हैं और इस प्रकार प्रधान अपने पद का दुरूपयोग करने और अपनी शक्तियों तथा कर्तव्यों को भली-भांति न निभा पाने में दोषी पाए गए हैं, जिसके फलस्वरूप उनके विरुद्ध हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 व उनके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन कार्यवाही अमल में लाना आवश्यक है ताकि वह पंचायती रिकार्ड में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न कर सकें तथा अपने पद व शक्तियों का दुरूपयोग न कर सकें।

अतः मैं, आर0 डी0 धीमान, उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भगवान सिंह प्रधान ग्राम पंचायत झाझा, विकास खण्ड कण्डाघाट, जिला सोलन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें उक्त कृत्यों के लिए प्रधान पद से निलम्बित किया जाए। उनका उत्तर इस नोटिस के जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर-2 खण्ड विकास अधिकारी, कण्डाघाट के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहेंगे तथा उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आर0 डी0 धीमान,
उपायुक्त।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित